

आन्दोलन
अशुद्ध के विरुद्ध

KEDIA™
Pavitra



लाकाडोंग हल्दी पाउडर

विश्व का सर्वाधिक
CURCUMIN : 7 - 12%

- लाकाडोंग मेघालय की हल्दी
- CRYOGENIC GRINDING प्रोसेस से बना

250 g
MRP ₹ 250

मिर्ची पाउडर
250 g
MRP ₹ 150



उड़द दाल छिलका
500 g MRP ₹ 90

मूंग दाल
500 g MRP ₹ 95

धनिया पाउडर
250 g
MRP ₹ 100



देशी गेहूँ
10 kg MRP ₹ 450



शरबती सुपीरियर आटा
5 kg MRP ₹ 350



सूजी
500 g MRP ₹ 40



गेहूँ दलिया
500 g MRP ₹ 40



बेसन
500 g MRP ₹ 70



देशी चक्की आटा
5 kg MRP ₹ 250



शरबती गेहूँ
10 kg MRP ₹ 650

NO ADULTERATION • NO MIDDLE MEN • DIRECT TO RETAILER • DIRECT TO CUSTOMER

COMING SOON: खड़े मसाले | चावल | कुकिंग ऑयल | ड्राई फ्रूट्स | चाय

ORDER
ON WEBSITE



ORDER
ON APP



ORDER ON CALL
1800 120 2727

ORDER
ON WHATSAPP



T&C Apply.

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। -रोबिन शर्मा

सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और बिहार की मतदाता सूचियां

प्रा: प्रमणकारियों के एक समूह में बड़ी रोचक चर्चा च रही थी। चर्चा बिहार चुनाव से संबंधित मतदातासूचियों, चुनाव की संभावित तिथियों व सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन लोकहित याचिकाओं पर केंद्रित थी। जैसा होता है समूह में भिन्न-भिन्न मत सामने आ रहे थे।

कुछ का कहना था कि यदि 7 अक्टूबर से पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया तो फिर याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं होगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 329 के अनुसार चुनाव घोषणा के पश्चात चुनाव संबंधित किसी भी कार्यवाही को न्यायालय में विचार के लिए नहीं लिया जा सकता सिवाय कानून में प्रावधित चुनाव याचिकाओं के जरिए अर्थात् चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे न्यायालय आदेश से रोक नहीं जा सकता। इस हिसाब से संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिकाएं भी स्वतः महत्वहीन हो जाएंगी।

इस से भिन्न मत यह था कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सीमित नहीं हैं। वास्तविक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है जब चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। इस बीच यदि उच्चतम न्यायालय को लगे कि मतदाता सूचियों में व्यापक स्तर की गड़बड़ियां हैं तो ऐसी गलतियों को सुधारने के निदेश दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम में भी आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है। उद्देश्य केवल चुनाव कराने मात्र का नहीं हो सकता, उद्देश्य स्वच्छ मतदाता सूचियों के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करने का होता है और सुप्रीम कोर्ट इस को अवश्य ध्यान में रखेगा।

एक सह प्रमणकारी ने बहस को अलग दिशा दी। उसके अनुसार मतदान संविधान के तीसरे भाग में उल्लेखित एक मूलभूत अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूलाधिकारों के हनन या लागू करवाने के संबंध में ही याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। इस प्रकार बिहार से संबंधित लोकहित याचिकाएं तो चलने योग्य ही नहीं।

साथ चलने वालों में से एक में कहा कि मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय के पहले ही अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को देश के कानून का बराबर संरक्षण उपलब्ध है, केवल नागरिकों को ही नहीं। मूल अधिकारों के शेष अनुच्छेदों में ही नागरिक शब्द उल्लेखित हुआ है किंतु अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख है।

स्वच्छ मतदान के जरिए एक उत्तरदाई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार बने यह हमारे संविधान का मूल ढांचा है (basic structure), हर नागरिक का यह मूल अधिकार है। उसके अनुसार यह अधिकार के मूल अधिकार का विस्तार ही तो है। अंतर केवल यह है कि संविधान में उल्लेखित कुछ अपवादों जैसे पागल न हो, घोषित दिवालिया न हो आदि को छोड़कर समस्त वयस्क नागरिकों को, समाज रूप से, यह अधिकार है।

मतदाता को स्वच्छ सरकार मिले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही उम्मीदवारों के लिए यह लाभनी किया है कि वे अपनी संपत्ति, अपराधिक रिक्तों को सार्वजनिक करें, चुनाव के लिए प्राप्त धन का सही ब्यौटा दें। मतदाता अधिकार मात्र एक मत डालने का नहीं है, यह लोकतांत्रिक सरकार के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को धन देने की योजना, लोक हित याचिका के जरिए ही निरस्त की थी और प्राप्त चुनावी चंटे की राशि और स्रोतों की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश दिए।

लेखक की राय में मतदान, संविधान में विहित प्रतिबंधों के साथ अभिव्यक्ति के मूल अधिकार का ही विस्तार है। इस की अभिव्यक्ति के जरिए ही लोकतांत्रिक सरकार का चयन होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बिना लोकतांत्रिक सरकार का गठन असंभव है तो फिर मतदान का अधिकार अन्य मूल अधिकारों से कमतर कैसे??? इसलिए बिहार SIR के संबंध में दायर याचिकाएं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है सुनी जाने के योग्य है।

अब अंत में बिहार SIR पर विचार करें। संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा? मान लें कि 2,4,5 मौजूज व्यक्तियों, पटवारी, अध्यापक आदि से बात करके इस नतीजे पर पहुंचता है कि मामला संदेहास्पद है तो वह तो संदेहास्पद लिख देगा किंतु इसके आगे निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी (ERO) या जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे मामलों का निपटारा कैसे करेगा???

संविधान के अनुसार तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है इसका निर्णय करने का अधिकार केवल व केवल केंद्र सरकार को है? एक रास्ता तो यह नजर आता है कि केंद्र सरकार ERO या जिला मजिस्ट्रेट को नागरिकता तय करने का अधिकार दे। इसके भी पहले व्यवहारिक बात तो यह प्रतीत होती है कि केंद्र सरकार ऐसी जांच कर ऐसे व्यक्तियों को डिटेन्शन सेंटर्स में स्थानांतरित करे, उन्हें उनके संबंधित देश से बात कर के उन्हें उनके देश में भिजवाए। क्या यह प्रक्रिया 2,4,5,10 दिन या 1,2 महीने में निपटने वाली लगती है??

इसलिए चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह स्पष्ट करे कि यदि इस प्रकार के मामले BLO ने ड्राफ्ट सूची में दे रखे हैं तो उनका निस्तारण कैसे किया???

-अतिथि सम्पादक, महावीर सिंह, आई.ए.एस. (से.नि.)

कार्तिक पुष्कर मेला, रेगिस्तान का जहाज और ऊंट संरक्षण की दरकार



डॉ. सुबोध अग्रवाल

राजस्थान का सबसे खास सांस्कृतिक मेला, पुष्कर मेला, अब बस कुछ ही दिन दूर रह गया है। जब रेगिस्तान में सुनहरें रेत के धोरों के पीछे सूर्य अपनी दिन की यात्रा पूरी कर छिपता है तब हवा में गुंजते लोकगीतों के बीच मेले की पहचान एक और तस्वीर उभरती है और वह तस्वीर होती है रेगिस्तान के जहाज ऊंट की। मोरे के पंखों और छोटे-छोटे कटिंग वाले शीशों से सजाए गए ऊंट और रंग-बिरंगी पगड़ी पहने सजे-धजे ऊंट के मालिक पुष्कर मेले की अलग ही छटा बिखेरते दिखते हैं। देसी-विदेशी पावनों के बीच रंगीन पहनावा में ऊंट पालक और सजे धजे ऊंट रेत के धोरों को और भी

खूबसूरत बना देते हैं। कार्तिक पुष्कर मेले की ऊंट रौणक है तो मेले की जीवंतता भी ऊंटों की उपस्थिति से ही बनती है।

ऊंट कई सदियों से रेगिस्तान की जान रहा है। रेगिस्तान की संस्कृति में रचा-बसा रहा है ऊंट। आवागमन का माध्यम, व्यापार का साधन, घुमंतु लोगों का साथी और पुष्कर का सितारा। लेकिन, अब इनकी संख्या कम हो रही है। साल 2012 में राजस्थान में ऊंटों की संख्या 3 लाख 26 हजार थी, जो साल 2019 आते-आते घटकर 2 लाख 12 हजार रह गई (पशुधन जनगणना)। इसके कारण कई रहे हैं उनमें से कुछ घटते और भिखुड़ते चरागाह, आवागमन के आधुनिक साधनों की सख्त उपलब्धता, मशीनीकरण और कम कमाई की वजह से ऊंट पालने वाले निराश हो गए हैं। इसके अलावा एक और अन्य प्रमुख कारण ऊंटों की तस्करी भी है। आज पुष्कर मेले में ऊंटों की संख्या घोटों से कम होती जा रही है। यह उन देसी-विदेशी पर्यटकों के लिए निराशाजनक है जो ऊंट को रेगिस्तान का असली प्रतीक मानते आए हैं। राजस्थान और

यहां के लोगों के लिए भी यह अपने आपमें गंभीर है।

ऐसा नहीं है कि ऊंटों की घटती संख्या से गंभीर ना हो। यह भी साफ हो जाना चाहिए कि कमी का मतलब खत्म होना नहीं है। ऊंट का दूध, जिसे अब सुपरफूड माना जाता है, 80-100 रुपये प्रति लीटर बिकता है और यह दुनिया भर में बिक रहा है। सरकारी गैरसरकारी पहल से सहकारी समितियां और डेयरी कंपनियां ऊंट के दूध और सह उत्पादों से नई कमाई के अवसर पैदा कर रही हैं। पर्यटन भी बदल रहा है और ऊंट सफारी आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है। इको-सफारी, सांस्कृतिक यात्राएं और रेगिस्तानी अनुभव उन्तों को फिर से मुख्य आकर्षण बना रहे हैं।

संस्थागत मदद जरूरी- आईसीएआर-नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, बीकानेर, जो 1984 में स्थापित हुआ था। इसे 1995 में अपटोड किया गया है और ऊंटों की सेहत, प्रजनन और वैक्यू-एडेड प्रोडक्ट दूध पाउडर और आइसक्रीम से लेकर नई डायनेमिस्टिक किट तक के क्षेत्र में अठायी काम कर रहा है। इससे ऊंट ऊंट पालकों के लिए बोझ बनने की जगह आय का साधन बनने लगे

हैं। हालांकि इस क्षेत्र में अभी और काम किया जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऊंटों की आबादी में बढ़ोतरी अभी हो नहीं पा रही है।

राज्य सरकार ऊंट की घटती आबादी को लेकर गंभीर हुई है और साल 2014 में, राजस्थान सरकार ने ऊंट को अपना राज्य पशु घोषित किया। साल 2015 के कैमल एक्ट ने ऊंटों की हत्या पर रोक लगा दी और उनके आवागमन-निर्यात को नियंत्रित किया गया। इन उपायों का मकसद इस प्रजाति को बचाना ही था, हालांकि इसका ऊंट पालने वालों पर आर्थिक असर मिला-जुला रहा है। ऐसे में सरकार को ऊंट पालकों के लिए भी पैकेज लाने की पहल की जानी चाहिए।

एक निजी बात: जब मैं बीकानेर का कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट था (1994-95), तो हमने कैमल फेस्टिवल को बढ़ावा दिया। हमारे इस प्रयास को सफल गया और यह आयोजन नवाचार होने के साथ ही बहुत सफल रहा। ऊंट फेस्टिवल में देश-विदेश के पर्यटकों की सहभागिता तय की गई उनकी हिस्सेदारी से ऊंट के प्रति लोगों का झुकाव और ध्यान आकर्षित हुआ। ऊंट फेस्टिवल का कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट था (1994-95), तो हमने कैमल फेस्टिवल को बढ़ावा दिया। हमारे इस प्रयास को सफल गया और यह आयोजन नवाचार होने के साथ ही बहुत सफल रहा। ऊंट फेस्टिवल में देश-विदेश के पर्यटकों की सहभागिता तय की गई उनकी हिस्सेदारी से ऊंट के प्रति लोगों का झुकाव और ध्यान आकर्षित हुआ। ऊंट फेस्टिवल

प्रवासी दृष्टि: समाज, संस्कृति और सोच



डॉ. पंकज राजवंशी

तटस्थता की कौमल कभी-कभी लगता है कि हम सब एक अजीब-से मंच पर खड़े हैं। कुछ के पास माइक है, कुछ बस दर्शक हैं, और कुछ तो इतने पीछे हैं कि मंच तक उनकी परछाईयों भी नहीं पहुंचती। और इस मंच पर सबसे ज्यादा शोर किसका है? अक्सर उनका, जिनके पास माइक भी है, मंच भी है, और अभ्यास भी। लेकिन सवाल ये है, क्या आवाज का अधिकार मंच से तय होता है या अनुभव से? क्या किसी विषय पर सोचने, लिखने और बोलने के लिए सिर्फ पीड़ा ही पासपोर्ट है? या फिर संवेदनशीलता और जिम्मेदारी भी कुछ मायने रखती है?

आजकल के विमर्शों में यह सवाल लगभग रोज उठता है। कुछ खास विषय जैसे दलित अनुभव, स्त्री संघर्ष, आदिवासी जीवन, जिन पर लिखने से पहले यह साबित करना पड़ता है कि आप वह जीवन जी चुके हैं। अगर नहीं, तो फिर बोलने का हक कहाँ से आता है? यह सवाल मुझे खटकता है, और ईमानदारी से कहूँ तो डरता भी है। क्या अनुभवहीनता संवेदन शून्यता की गारंटी है? और क्या किसी वर्ग, जाति या पहचान से बाहर होना किसी मुद्दे को समझने में असमर्थ बना देता है?

माना कि पीड़ा की गहराई वही समझ सकता है जो उसे जीता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाकी सब चुप रहे? अगर हाँ, तो फिर साहित्य, शोध और सामाजिक विज्ञान के 90 प्रतिशत हिस्से को हम कैसे जायज उहाराएँगे? क्या कल्पना, करुणा और विवेक भी अब लाइसेंस से मिलेंगे?

यह सवाल मेरे लिए सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है। यह व्यक्तिगत भी है। मैं एक प्रवासी भारतीय हूँ। तीन दशक से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहा हूँ। मेरे पास स्थायित्व है, सुविधाएँ हैं, और निश्चित ही विशेषाधिकार है। लेकिन क्या इसी विशेषाधिकार के कारण मैं उन चीजों पर नहीं बोल सकता जो मेरे देश में घट रही हैं? या उन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वे अपने मंच को दूसरों की आवाज बनने के लिए इस्तेमाल करें?

यहाँ पर नैतिकता और विशेषाधिकार टकराते हैं। अगर आप किसी मंच पर हैं और आपके पास माइक है, तो क्या आप उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी और की बात कहने के लिए भी थोड़ा हटकर खड़े होते हैं? यह एक बहुत महीन फर्क है। और इसी फर्क से तय होता है कि आप 'छद्म बुद्धिजीवी' हैं या जिम्मेदार लेखक।

हम अक्सर सोचते हैं कि पीड़ा की आवाज उठनी से आगे जो पीड़ित है। यह उठता भी है। लेकिन अगर पीड़ितों की आवाज दबा दी गई हो? अगर उनके पास माइक ही न हो? तो क्या हम सब मुक दर्शक बनकर बैठ जाएँ? शायद नहीं। शायद जरूरत है और ऊंटों की कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब माइक थमाना है।

हमेशा यह जरूरी नहीं कि बोलने वाला खुद पीड़ित हो। लेकिन जरूरी यह है कि वह अपने विशेषाधिकार को समझे। वह यह समझे कि उसकी आवाज गुंजती क्यों है और किसकी आवाज गुंजने से पहले ही दम तोड़ देती है। अगर वह ये समझ पाता है, तो शायद वह किसी का प्रवक्ता न बने, लेकिन उसका साथी जरूर बन सकता है।

लेखन एक माध्यम है। न तो तख्त है, न ही तलवार। अगर हम इसे सिर्फ आत्मव्यक्ति का जरिया बनाते हैं, तो शायद हम वह कर रहे हैं जिससे बचने की सलाह हम दूसरों को देते हैं।

किसी मुद्दे पर लिखते समय यह जरूरी है कि हम खुद से बार-बार सवाल करें: क्या मैंने वाकई किसी से बात की है? क्या मैं सिर्फ पढ़ी हुई चीजों से सोच रहा हूँ या जमीन में भी जुड़ा हूँ? क्या यह लेख सिर्फ मेरे विचार हैं, या इनमें कुछ और आवाजें भी छिपी हैं? मेरे लिए यह लेखन अभ्यास नहीं है। यह बेचैनी है। यह पीठर की वह खरोंच है जो हर बार तब उभरती है जब किसी दूसरे की चुप्पी सुनाई देती है। मैं

असमंजस में रहता हूँ। क्या मेरी संवेदनशीलता सिर्फ एक आत्मदेह बौद्धिक मुद्रा है? क्या मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठकर बदलाव की बात करने वाला 'आमचेयर एक्टिविस्ट' हूँ? शायद हूँ। लेकिन क्या यह कुर्सी मुझे सोचने से रोकती है? या फिर यही कुर्सी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है?

मैं एक चिकित्सक हूँ। मेरी समझ, मेरी दृष्टि, मेरे प्रश्न, ये सब मेरी पेशेवर यात्रा का हिस्सा हैं। जब मैं देखता हूँ कि कोई परिवार दिनभर काम करता है ताकि दो वक्त की रोटी मिल सके, तो मुझे मेस्तो का जरूरतों का सिद्धांत याद आता है। पहले पेट भरेगा, फिर सोच खुलेगा। जब कोई प्रवासी मजदूर किराए और बच्चों की पढ़ाई के तनाव में डूबा होता है, तो मस्तिष्क की सोचने की क्षमता भी सीमित हो जाती है। ऐसे में विचारधारा की बातें लगजरी जैसी लगती हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ है कि सोचने और कहने का काम सिर्फ वही करें जो पीड़ा में नहीं है? या फिर उन पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है कि वे अपने मंच को दूसरों की आवाज बनने के लिए इस्तेमाल करें?

यहाँ पर नैतिकता और विशेषाधिकार टकराते हैं। अगर आप किसी मंच पर हैं और आपके पास माइक है, तो क्या आप उसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी और की बात कहने के लिए भी थोड़ा हटकर खड़े होते हैं? यह एक बहुत महीन फर्क है। और इसी फर्क से तय होता है कि आप 'छद्म बुद्धिजीवी' हैं या जिम्मेदार लेखक।

हम अक्सर सोचते हैं कि पीड़ा की आवाज उठनी से आगे जो पीड़ित है। यह उठता भी है। लेकिन अगर पीड़ितों की आवाज दबा दी गई हो? अगर उनके पास माइक ही न हो? तो क्या हम सब मुक दर्शक बनकर बैठ जाएँ? शायद नहीं। शायद जरूरत है और ऊंटों की कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब माइक थमाना है।

हमेशा यह जरूरी नहीं कि बोलने वाला खुद पीड़ित हो। लेकिन जरूरी यह है कि वह अपने विशेषाधिकार को समझे। वह यह समझे कि उसकी आवाज गुंजती क्यों है और किसकी आवाज गुंजने से पहले ही दम तोड़ देती है। अगर वह ये समझ पाता है, तो शायद वह किसी का प्रवक्ता न बने, लेकिन उसका साथी जरूर बन सकता है।

लेखन एक माध्यम है। न तो तख्त है, न ही तलवार। अगर हम इसे सिर्फ आत्मव्यक्ति का जरिया बनाते हैं, तो शायद हम वह कर रहे हैं जिससे बचने की सलाह हम दूसरों को देते हैं।

किसी मुद्दे पर लिखते समय यह जरूरी है कि हम खुद से बार-बार सवाल करें: क्या मैंने वाकई किसी से बात की है? क्या मैं सिर्फ पढ़ी हुई चीजों से सोच रहा हूँ या जमीन में भी जुड़ा हूँ? क्या यह लेख सिर्फ मेरे विचार हैं, या इनमें कुछ और आवाजें भी छिपी हैं? मेरे लिए यह लेखन अभ्यास नहीं है। यह बेचैनी है। यह पीठर की वह खरोंच है जो हर बार तब उभरती है जब किसी दूसरे की चुप्पी सुनाई देती है। मैं

के माध्यम से सिर्फ ऊंट पशु तक सीमित ना रहकर इससे जुड़ी संस्कृति और लोगों की आजीविका का जखन मनाया गया।

रेगिस्तानी संस्कृति की पहचान ऊंट रेगिस्तान की जान है। आज रेगिस्तानी धोरों की सफारी का नया दौर आया है। इस सफारी में वाहनों के स्थान पर ऊंट सफारी के रूप में ही आगे बढ़ाया जाए तो ऊंट और इससे जुड़ी गौरवपूर्ण संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही राजस्थान में ऊंटों को डेयरी, हस्तशिल्प और टिकाऊ पर्यटन के बचाना ही था, हालांकि इसका ऊंट पालने वालों पर आर्थिक असर मिला-जुला रहा है। ऐसे में सरकार को ऊंट पालकों के लिए भी पैकेज लाने की पहल की जानी चाहिए।

एक निजी बात: जब मैं बीकानेर का कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट था (1994-95), तो हमने कैमल फेस्टिवल को बढ़ावा दिया। हमारे इस प्रयास को सफल गया और यह आयोजन नवाचार होने के साथ ही बहुत सफल रहा। ऊंट फेस्टिवल में देश-विदेश के पर्यटकों की सहभागिता तय की गई उनकी हिस्सेदारी से ऊंट के प्रति लोगों का झुकाव और ध्यान आकर्षित हुआ। ऊंट फेस्टिवल

का कल्पना नहीं की जा सकती ठीक उसी प्रकार कार्तिक पुष्कर मेला रंग बिरंगे सजे धजे ऊंट और ऊंट के करतबों, विभिन्न प्रतियोगिताओं के बिना अधूरा है।

-डॉ. सुबोध अग्रवाल, (आईएएस), अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

संविधान के अनुसार, लोक सभा, विधान सभाओं के लिए सघन परीक्षण व पारदर्शी तरीके से स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करने का अधिकार संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का है। आशा है सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चुनाव आयोग स्वच्छ मतदाता सूचियां तैयार करेगा। केवल एक बिंदु पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है:- अगर किसी गांव, मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने यह कहा कि अमुक व्यक्ति अवैध विदेशी माइग्रेंट है तो चुनाव आयोग क्या करेगा? कैसे जांच करेगा?

“आई लव मोहम्मद” अभियान के विरोध या समर्थन का कोई असर नहीं दिख रहा है बिहार के चुनाव में

यह इस बात की पुष्टि करता है कि सदा से ही बिहार की राजनीति में धर्म से ज्यादा जाति असरदार है

—श्रीदत्त झा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। क्या उत्तर प्रदेश का 'आई लव मोहम्मद' अभियान भाजपा द्वारा इस तरह रचा गया था कि बिहार में चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाया जा सके?

इसी तरह की कई साजिश की थ्योरी सामने आ रही हैं, खासकर बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी और उनके सहयोगियों व परिवार पर जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के बाद।

बिहार की राजनीति पर हिंदुत्व की राजनीति का कोई बड़ा असर अब तक नहीं पड़ा है। यहाँ धर्म से अधिक, जाति ही राजनीतिक पहचान का मुख्य आधार रही है। लेकिन अतीत में कुछ इलाकों में सांप्रदायिक धुवीकरण ने भाजपा को चुनावी लाभ ज़रूर दिया है।

पिछले महीने कानपुर में अल्पसंख्यकों पर पुलिस की कार्रवाई

■ जैसा कि विदित है कि मौलाना तौकीर रजा खान ने गत माह आई लव मोहम्मद अभियान शुरु किया था, जो महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात में भी पहुँचा।

■ इसके जवाब में हिन्दुवादी गुप्त ने “आई लव महादेव”, “आई लव राम” पोस्टर वॉर छेड़ा। राजनीति टीकाकारों के अनुसार, इन दोनों अभियानों का ज्यादा असर इसलिये नहीं हुआ, क्योंकि तौकीर रजा खान को यू.पी. का असदुद्दीन ओवैसी समझा जाता है, जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का कर अपने वक्तव्यों से धुवीकरण करते हैं और इसका फायदा भाजपा को ही मिलता है।

■ यह भी कहा जाता है कि मौलाना तौकीर रजा खान बरेली के भाजपा नेता संतोष गंगवार के नजदीकी हैं और एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने ही जेल से रिहाई के लिए उनकी जमानत की व्यवस्था कराई थी।

■ बिहार के सीमांचल क्षेत्र में, जहाँ मुस्लिम मतदाता काफी संख्या में हैं, जरूर ओवैसी की पार्टी को, जो सभी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि वे मौलाना के पक्ष में अच्छी खासी बयानबाजी कर रहे हैं।

और 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर लगाने वालों पर रोक के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। मौलाना तौकीर रजा खान ने इनका नेतृत्व किया, जिसके चलते

आंदोलन महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात तक फैल गया। इसके जवाब में हिंदू संगठनों ने 'आई लव महादेव', 'आई लव राम' और यहाँ तक कि 'आई

लव बुलडोजर' जैसे पोस्टरों के साथ मुहिम छेड़ दी।

इस पोस्टर राजनीति में माहौल को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुतिन ने मोदी को साहसी नेता बताया

सोची, 03 अक्टूबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत किसी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा।

पुतिन ने काला सागर के तट पर स्थित रूस के सोची शहर में आयोजित व्लादाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के मंच पर बोलते हुए कहा, “भारत और चीन अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।” रूसी राष्ट्रपति का इशारा हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत आयात

■ उन्होंने कहा अब भारत पुराना भारत नहीं, अब वो किसी तरह का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगा।

शुल्क लगाने और रूस से तेल आयात बंद नहीं करने के कारण 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले की ओर था।

रूसी राष्ट्रपति ने मोदी को साहसी नेता बताया और कहा कि, “भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, अब वो किसी तरह का तिरस्कार बर्दाश्त नहीं करेगा।” पुतिन ने कहा, “अगर भारत रूस से तेल आयात बंद कर देता है तो इसे बहुत घाटा होगा। पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व पर धरोसा जताते हुए कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर जानते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब तक रूस की सीमा से लगते देश ही “आतंकित” थे रूस की आक्रामक कार्यवाही से

पर, अब रूस ने ड्रोन की उड़ानों से व एयर स्पेस उल्लंघन से मध्य यूरोप को भी डराना शुरु कर दिया है

—अंजन राय—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 3, अक्टूबर। पश्चिमी यूरोप अब दिन-ब-दिन छत्र युद्ध की मार को तेजी से महसूस कर रहा है, जिससे उसकी जरूरी और अहम सेवाएँ अलग-अलग समयवर्षि के लिए ठप हो रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस बिगड़ती स्थिति का सामना कैसे किया जाए, इसका कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा।

अब तक ऐसे हमले रूस की सीमा से लगे देशों में हो रहे थे, लेकिन अब गुप्त हमले धीरे-धीरे मध्य यूरोप तक पहुँचने लगे हैं।

कल म्यूनिख हवाईअड्डे को उस समय कई घंटों तक बंद करना पड़ा, जब वहाँ आसपास बड़ी संख्या में ड्रोन देखे गए। उड़ानें बाधित हो गईं और भारी संख्या में यात्री परेशान हुए। सबसे पहले पोलैण्ड में बिना अनुमति उड़ रहे ड्रोन देखे गए थे, जिन्हें पोलिश सेना ने गिरा दिया था। अब ऐसी घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं।

पोलैंड की घटना के बाद, कोपनहेगन हवाईअड्डे को भी ड्रोन की

■ सबसे पहले ये ड्रोन की उड़ानें पोलैण्ड में देखी गई थीं। इसके बाद कोपनहेगन, डैनमार्क, एस्टोनिया में भी हुई हैं।

■ इन उड़ानों से कई जगह एयरपोर्ट उड़ाने विलंबित हुई हैं। ऐसी घटना दो साल पूर्व हुई थी, जिसमें गॉथ सी में गैस पाइपलाइन को दुर्घटनाग्रस्त किया गया था।

■ लंदन की बहुप्रतिष्ठित पत्रिका इकॉनमिस्ट ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सारी आपसी बातचीतों के बावजूद भी अभी तक रूस के खिलाफ कॉमन फ्रंट बनाकर खड़े होने की क्षमता नहीं बनी है। यूरोप को यह भी भय है कि अगर अभी रूस की डराने वाली कार्यवाही नहीं रोकी गई तो रूस की हिम्मत बढ़ती जायेगी। कुछ रूसी भाषी अल्पसंख्यकों की सहायता से वो रूस पर अपना आधिपत्य बढ़ाता जाएगा।

वजह से बंद करना पड़ा। इसके बाद डेनमार्क का बिजनेस एयरपोर्ट भी आसपास ड्रोन उड़ानों से प्रभावित हुआ। एस्टोनिया में रूसी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में 12 मिनट तक उड़ान भरते हुए देखे गए।

ड्रोन के अलावा, यूरोप में जरूरी

सेवाओं को बाधित करने वाली घटनाएँ भी बढ़ रही हैं। करीब दो साल पहले उत्तरी सागर में एक बड़ी गैस पाइपलाइन को समुद्र की सतह के नीचे क्षतिग्रस्त पाया गया।

सभी आरोपों की उंगली रूस की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भारतीय कंपनियां “क्रोनीइज़्म” से नहीं मेहनत और इनोवेशन से भी जीत सकती हैं’

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत में पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक ही कंपनी के एकाधिकार की कड़ी आलोचना करते हुए यह टिप्पणी की

—डॉ. सतीश मिश्रा—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर। पूरी अर्थव्यवस्था पर तीन-चार बड़ी कंपनियों के एकाधिकार की धारणा की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि दोपहिया वाहन निर्माता बजाज, हीरो और टीवीएस कोलंबिया में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जो यह साबित करता है कि भारतीय कंपनियां नवाचार (इनोवेशन) के दम पर सफल हो सकती हैं, न कि भाई-भतीजावाद (क्रोनीइज़्म) के जरिए।

दक्षिण अमेरिका के चार देशों के दौर पर कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी ने 'एक्स' पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की

■ दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में हीरो, बजाज और टीवीएस का काम काज देखकर राहुल ने खुशी जताई और एक्स पर एक फोटो भी पोस्ट की, जिसमें वे एक बजाज पल्सर मोटर साइकिल के साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने कोलंबिया में भारतीय कंपनियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

■ कोलंबिया की इआईए युनिवर्सिटी, मैडलीन में विद्यार्थियों के साथ एक संवाद में राहुल ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया और कहा कि पूरे आर्थिक ढांचे को एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंपा जाना चाहिए।

है, जिसमें वे एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल के सामने खड़े हुये हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया

जयपुर, 03 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस माह दीपावली के त्यौहार से पहले राज्य कार्मिकों को महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि का उपहार दिया है। पेंशनसं को भी महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि देय होगी।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का

■ राज्य कर्मियों और पेंशनरों को 1 जुलाई 25 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।

अनुमोदन किया। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनसं को 1 जुलाई 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत देय होगी।

इस निर्णय से लगभग 8 लाख कर्मिक एवं 4.40 लाख पेंशनसं लाभान्वित होंगे। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।

एयर चीफ मार्शल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान को हराया भारत ने

—जाल खंबाता—

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 3, अक्टूबर। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने शुक्रवार को एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, अमेरिकी एफ-16 और चीनी जेएफ-17 को मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि अगस्त में की गई प्रारंभिक टिप्पणी के बाद अब और स्पष्ट विवरण साझा किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि विश्व ने भारतीय वायुसेना की ताकत देखी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी शिविरों और ठिकानों को भी निशाना बनाकर सफलतापूर्वक ध्वस्त किया।

वायुसेना प्रमुख ने बताया, “हमारे पास यह प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक अवाक्स (एयरबोर्न अल्टी वॉरिंग सिस्टम) एयरक्राफ्ट और 4 से 5 फाइटर जेट्स को हवा में ही नष्ट किया गया। कुल मिलाकर 6 पाकिस्तानी विमान हमारी कार्रवाई में तबाह हुए।” इसके अलावा, भारतीय मिसाइल

एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने कहा, पूरी दुनिया ने भारतीय वायु सेना की ताकत देखी

■ उन्होंने बताया, हमारी सेना ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमानों के साथ एक “अर्ली वॉरिंग एण्ड कंट्रोल प्लेन” नष्ट किया था और यही नहीं अमेरिका में बने सी-130 विमान, जिसे “हर्क्युलिस” कहा जाता है, को भी नष्ट किया है।

■ सिंह ने बताया, “अर्ली वॉरिंग एण्ड कंट्रोल प्लेन” को 300 किलोमीटर दूर से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया, जो अब तक का सबसे लंबी दूरी का निशाना है।

■ उन्होंने कहा, निशाने हर हमले के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। पर, पाकिस्तान जो भारतीय राफेल गिराने के जो दावे कर रहा है, वह सिर्फ झूठा प्रचार है, जो वह अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए कर रहा है।

हमलों ने पाकिस्तानी रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रनवे, हैंगार

और अन्य सैन्य ढांचों को भी निशाना बनाकर निष्क्रिय कर दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि हो सकता है कि सी-130 क्लास का एक अमेरिकी सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान, जिसे “हर्क्युलिस” कहा जाता है, वह भी निशाना बना हो।

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के नुकसान की बात करें तो हमने उनके कई एयरफील्ड्स और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इसमें चार स्थानों पर रडार, दो स्थानों पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और दो रनवे क्षतिग्रस्त हुए। तीन विभिन्न एयरबेस पर तीन हैंगर भी नष्ट हुए,” उन्होंने कहा।

एयर चीफ ने बताया कि एक एईडब्ल्यू एण्ड सी या इलेक्ट्रॉनिक इन्टैलिजेंस विमान को 300 किलोमीटर से निशाना बनाकर मार गिराया गया, जो अब तक का सबसे लंबी दूरी का सतह से हवा में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनम वांगचुक की रिहाई के लिये सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने उनकी रिहाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अंगमो ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

■ वांगचुक की पत्नी की याचिका पर दशहरा की छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी।

गुरुवार को दायर कर अपने पति की गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

उन्होंने अपनी याचिका में अपने पति पर एनएसए लगाने पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी “गिरफ्तारी अवैध और नियमों का उल्लंघन है।” उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बाद उनके पति से कोई संपर्क नहीं हो पाया।

गौरतलब है कि वांगचुक राजस्थान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के शटडाउन का असर धीरे-धीरे सरकारी कर्मचारियों और जनता को महसूस होने लगा

केन्द्रीय सरकार के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को अगले सप्ताह पे चैक नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी बचत भुनाकर रोजमर्रा का खर्चा चलाना पड़ेगा

■ जब तक बजट प्रस्ताव सीनेट से पारित नहीं होता, बिना तनखाह के छुट्टी पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व सैनिक व ग्रामीण परिवार, जो सरकारी मदद पर निर्भर हैं, उनके जीवन में आर्थिक तनाव और बढ़ जायेगा।

■ साधारण नागरिक के लिए नैशनल पार्क, म्यूजियम व अन्य पब्लिक सेवाएँ, यहाँ तक कि एयरपोर्ट व हवाई सेवा भी सुरक्षाकर्मियों के अभाव में अस्त-व्यस्त होनी शुरु हो गई हैं।

छंटनी के संकेत दिए जा रहे हैं। प्रेस सचिव कैसेलिन लेविट ने कहा कि एजेंसियां अब यह समीक्षा कर रही हैं कि “कहां-कहां छंटनी सन्निकट है,” जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि कई कर्मचारी अब अपनी नौकरियों पर वापस नहीं लौट पाएंगे।

सरकार इस फंडिंग अवरोध का इस्तेमाल अपने खर्च प्राथमिकताओं नया रूप देने के लिए कर रही है। ऊर्जा विभाग ने घोषणा की है कि वह स्वच्छ

ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को बंद कर रहा है—खासकर डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शासित राज्यों में। वहीं, परिवहन विभाग ने न्यूयॉर्क के लिए 18 अरब के इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स को फ्रीज कर दिया है। आलोचकों ने इन फैसलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है।

यह गतिरोध हैल्थकेयर फंडिंग सीनेट डेमोक्रेट्स कम आय वाले परिवारों के लिए सॉब्सिडी बढ़ाना चाहते हैं, जबकि रिपब्लिकन किसी भी

विफलता की एक कड़वी याद दिलाता है। रोजमर्रा की सुविधाएँ—जैसे परमिट रिन्यू कराना या राष्ट्रीय उद्यानों की सैर—अब बंद हैं। जिन संघीय कर्मचारियों की जिंदगी महीने की तनखाह पर टिकी है, उनके लिए यह स्थिति बेहद कठिन है।

वाशिंगटन में घूमने आए एक सेवानिवृत्त व्यक्ति ने कहा, जो आज कई अमेरिकियों को साझा भावना बन गई है। “समझौता किया जाता है। रास्ते निकाले जाते हैं। सबको थोड़ा-थोड़ा पीछे हटना पड़ता है।”

जहां रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे नीति-निर्धारण के लिए सरकार को बंधक बना रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट्स जवाब दे रहे हैं कि टूट प की सार्वजनिक सेवाओं में की जा रही आक्रामक कटौतियाँ समाजिक सुरक्षा तंत्र को खतरे में डाल रही हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नए खर्च का विरोध कर रहे हैं और डेमोक्रेट्स पर आरोप लगा रहे हैं कि वे यह पैसा अवैध प्रवासियों को देने की कोशिश कर रहे हैं—जिसे डेमोक्रेट्स ने सिरे से नकारा है। बिना द्विदलीय समर्थन के, सीनेट 60 वोटों की आवश्यक संख्या जुटा नहीं पा रही है, जिससे कोई भी अल्पकालिक समाधान भी असंभव हो गया है।

आम अमेरिकी नागरिकों के लिए, यह शटडाउन वाशिंगटन की राजनीतिक

‘दो साल तक के बच्चों के कफ सिरप ना दें’

नयी दिल्ली, 03 अक्टूबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत की रिपोर्टों को देखते हुए, केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने दो

■ केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राजस्थान व मध्यप्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई छोटे बच्चों की मौतों के मद्देनजर यह निर्देश दिया।

साल तक के बच्चों को कफ सिरप न देने का निर्देश दिया है।

महानिदेशालय की ओर से शुक्रवार को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को जारी परामर्श में कहा है कि बच्चों में आम तौर से होने वाली खाँसी अपने-आप ठीक हो जाती है और किसी दवाई की जरूरत नहीं होती। उसने कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को सर्दी और खाँसी की दवा नहीं दी जानी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिराज प्रसाद तिवाड़ी का देहांत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिड़ियारी गाँव पहुँचकर तिवाड़ी को पुष्प चक्र अर्पित किया

भरतपुर 3 अक्टूबर, (निस) राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गिराज प्रसाद तिवाड़ी का शुक्रवार को 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। बयाना के गाँव बिड़ियारी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय लोगों के अलावा, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने तिवाड़ी की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित किया। उनके साथ राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद थे।

इस अवसर पर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉ. ऋतु बनावत, जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवाड़ी, आलोक शर्मा, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली, पूर्व सांसद रंजीता कोली, पूर्व सांसद पंडित रामकिशन, पूर्व डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी, व्यापारी संगठन अध्यक्ष संजीव गुप्ता, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश सुपा, सतीश सोगरवाल, योगेश सिंघल, दयाचंद पचीरी, विवेक कल्ला, दैलत फौजदार, जनप्रतिनिधि, परिजन एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता गिराज प्रसाद तिवाड़ी की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

सन् 1920 में जन्मे गिराज प्रसाद तिवाड़ी ने अपने कैरियर की शुरुआत

वकालत से की। कानून की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने

■ एक सौ पाँच वर्षीय तिवाड़ी को अंतिम विदाई देने वित्त आयोग अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक बहादुर सिंह कोली, डॉ. ऋतु बनावत, पूर्व सांसद, पंडित रामकिशन शर्मा, रंजीता कोली सहित बड़ी संख्या में राजनेता, व्यापारी व सामाजिक संगठन के पदाधिकारी पहुंचे।

राजनीति में कदम रखा और जनसेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया।

भरतपुर में प्रधान और जिला प्रमुख रहते हुए उन्होंने समाज की सेवा की। इसके बाद वे दो बार विधायक चुने गए और जनता की आवाज़ को मजबूती से विधानसभा तक पहुंचाया। गिराज प्रसाद तिवाड़ी का सबसे अहम कार्यकाल 1985 से 1990 तक रहा, जब वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने।

कश्मीर में बर्फ गिरी

श्रीनगर, 03 अक्टूबर। कश्मीर के पहाड़ों पर शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई तथा मौसम विज्ञान केन्द्र ने अगले तीन दिनों में मैदान इलाकों में व्यापक बारिश और ऊँचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान बताया है। इसके प्रभाव में 4 अक्टूबर की शाम से 7 अक्टूबर तक एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। गुलमर्ग में बर्फबारी होने के बाद सोनमर्ग, गुरेज घाटी और अन्य ऊँचे इलाकों में मौसम की पहली भारी बर्फबारी होने की संभावना है।

भूगोल में रहना है या नहीं, आर्मी चीफ ने पाक को खुली धमकी दी

■ सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं दिखाएगा।

■ आर्मी चीफ ने श्रीगंगा नगर जिले के अनूपगढ़ में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप तैयार रहिए भगवान ने चाहा तो जल्दी ही दूसरा मौका मिलेगा।

दोहराएगा नहीं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के सूत्र दिए। उन्होंने बताया कि यदि भारत ने ये सूत्र उजागर नहीं किए होते, तो पाकिस्तान इन तथ्यों को छिपा लेता। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर नौ लक्ष्यों पर हमला किया, जिनमें से सात सेना ने और दो वायुसेना ने नष्ट किए। जनरल द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि भारत का उद्देश्य केवल आतंकीयों को निशाना बनाना था, न कि आम पाकिस्तानी नागरिकों को नुकसान पहुंचाना।

सेना प्रमुख ने सैनिकों से पूरी तरह तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अब अपने आप को पूरी तरह तैयार रखें, यदि भगवान ने चाहा तो मौका जल्द आएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस बार पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगा और ऐसी कदवाई करेगा, जो पाकिस्तान को अपनी स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दे।

जनरल द्विवेदी ने सीमा पर रहने वाले लोगों के बारे में कहा कि भारत इन लोगों को आम नागरिकों के बजाय सैनिकों के रूप में देखता है।

अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जब तक सांसद आपसी सहमति पर नहीं पहुंचते, सरकार बंद रहेगी - और देश इंतजार करता रहेगा- चिंतित, बिना वेतन और बढ़ती हताशा के साथ।

मुख्यमंत्री ने सूरत में “प्रवासी राजस्थानी मीट” की तैयारियों के निर्देश दिए

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्थानी उद्यमियों के साथ सैक्टर मीटिंग आयोजित करें

जयपुर, 3 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुजरात के सूरत में आगामी 8 अक्टूबर को प्रस्तावित 'प्रवासी राजस्थानी मीट' के आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को प्रवासी राजस्थानी मीट के आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों एवं निवेशकों के साथ सैक्टर मीटिंग के लिए भी

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 8 अक्टूबर को सूरत के इस आयोजन से प्रदेश में होटल, खनन व फार्मा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रवासी राजस्थानी मीट से प्रदेश में होटल, खनन, फार्मा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों से संबंधित पूर्व तैयारियां समय से सुनिश्चित की जाएं।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों की प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी दी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

एयर चीफ मार्शल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मार करने वाला ऑपरेशन माना जा रहा है। अगर हमें भी वायुसेना ने पुष्टि की थी ऑपरेशन सिंदूर में जेकबाबाद और भोलारी जैसे पाक एयरबेस पर मिसाइल हमलों के जरिए व्यापक नुकसान पहुंचाया गया। एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान के उस दावे को सिर से खारिज कर दिया कि पाक ने भारत के राफेल सहित, 6 सैन्य विमानों को गिराया है। एयर चीफ ने कहा कि यह केवल झूठा प्रचार है, जिसका उद्देश्य केवल पाकिस्तान के नागरिकों को गुमराह करना है। उन्होंने कहा, "पाक ने कोई प्रमाण नहीं दिया है कि उन्होंने भारतीय विमानों को गिराया है। ये केवल दावे हैं, सच नहीं।"

सोनम वांगचुक की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान

“आई लव मोहम्मद” ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मौलाना तौकीर रजा खान को ऐसा सबक सिखाएंगे, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और अभियान का समर्थन किया है। माना जा रहा है कि इस विवाद का असर बिहार के सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर ओवैसी की पार्टी को चुनौती फायदा पहुंचा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना रजा खान को अक्सर उत्तर प्रदेश का ओवैसी कहा जाता है, क्योंकि

उन्होंने कहा कि इस आयोजन में प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों की प्रवासी राजस्थानियों को जानकारी दी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

‘दो साल तक के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) दवायें कम से कम समय के लिए दी जानी चाहिए और उसके साथ कई दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। डीजीएचएस सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को इस परामर्श के बारे में अवगत कराएं।

अब तक रूस की सीमा से

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ओर उठ रही है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार-बार इन आरोपों का मजाक उड़ाया है और कहा है कि ये पश्चिमी यूरोपीय देशों की साजिश है। असल समस्या यह है कि किसी भी गुप्त आक्रामक कार्रवाई में रूस की सीधी संलिप्तता साबित करना निश्चित रूप से बेहद कठिन है। जिन देशों ने ये परेशानियाँ झेली हैं, उनमें से कोई भी अब तक कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया है। तथापि, इसके बावजूद पश्चिमी देशों में गुप्त युद्ध की धारणा गहरी है और माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के दबाव के कारण, रूस बतला लेने और पश्चिमी यूरोप में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है।

पुरे यूरोप में इन छुटपट्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। कथित रूसी एजेंटों द्वारा बार-बार किए जा रहे इन व्यवधानों के कारण पश्चिमी यूरोप अनिश्चितता और लाचारी में धिरा है। अमेरिका भी खास मददगार नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोपीय हवाई क्षेत्र और सीमाओं में इन घुसपैटों को हल्के में लेते रहे हैं।

असलियत यह है कि पश्चिमी

यूरोप के किसी भी देश के पास रूस के खिलाफ कोई ठोस रोकथाम का उपाय नहीं है। रूस के खिलाफ कड़े बयानों के बावजूद, हर देश अपने तथाकथित सझा बचाव तंत्र को लेकर संशय में है। यूरोप की एक प्रभावशाली आवाज, जिसे लंदन की पत्रिका “द इकॉनमिस्ट” ने सामने रखा है, पश्चिम से यह आग्रह कर रही है कि वह रूस के खिलाफ अपनी रोकथाम की नीति स्पष्ट व कड़े शब्दों में लागू करे, ताकि रूसी भालू अपनी सीमा से लगे देशों पर पंजा न मार सके। पत्रिका का कहना है कि यदि अभी कदम नहीं उठाए गए तो रूस को और अधिक घुसपैट करने और अंततः कुछ रूसी भाषी अल्पसंख्यकों के साथ जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का साहस मिलेगा।

ऐसी जबरदस्त घुसपैट और विध्वंसकारी गतिविधियों के बीच, जबकि रूस बार-बार सीमा उल्लंघन और छुपे हमले कर रहा है, राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत में भारत आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने मित्र, भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का बेसमझे इंतजार कर रहे हैं।

ऐसे में, जबकि पुतिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के कारण अपने

देश से बाहर नहीं जा सकते, तो भारत की यह यात्रा उनके देश के बाहर की दुर्लभ यात्राओं में से एक होगी।

शायद भारत के पास पुतिन का स्वागत करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, भले ही इसके कारण पश्चिम उससे नाराज हो। खासकर तब, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के मनमौजी रवैये और रूस से तेल खरीदने पर भारत को दंडित करने की कोशिशों ने भारत के सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है।

पुतिन ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे।

राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के भारत जैसे व्यापारिक सहयोगियों पर अगर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है तो वैश्विक स्तर पर महंगाई और बढ़ेगी। इस कारण अमेरिकी फेडरल बैंक को अपनी ब्याज दर उच्च रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमत प्रति बैरल 100 डॉलर तक बढ़ जाएगी। अमेरिका के फैसले का नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ेगा।

है, तथा भारत परम्परा एवं वैचारिकता के मामले में विश्व को बहुत कुछ देने की स्थिति में है।

उन्होंने यह भी कहा: “मैं भारत को लेकर बहुत आशावादी हूँ, लेकिन भारतीय व्यवस्था के भीतर कुछ गहरी दरें हैं, जिन्हें दूर करना होगा। सबसे बड़ा खतरा है - भारत में लोकतंत्र पर हो रहा हमला।”

राहुल गांधी ने आगे कहा: “भारत कई धर्मों, भाषाओं और परंपराओं का देश है। भारत दरअसल, एक सतत संवाद है अपने लोगों के बीच। इन विविधताओं को उनका समुचित स्थान देना आवश्यक है और इसका सबसे अच्छा तरीका है लोकतांत्रिक व्यवस्था।” राहुल ने कहा, “इस समय भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जबरदस्त हमला हो रहा है। यह एक बड़ा खतरा है। दूसरा संकट विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का है। भारत में 16-17 प्रमुख भाषाएँ हैं, कई धर्म हैं। इन सबको फूलने-फलने दीजिये। भारत में यह बहुत जरूरी है कि विभिन्न परम्पराएँ अभिव्यक्ति के अवसर पा सकें। हम चीन की तरह लोगों को दबाकर केन्द्रीकृत प्रणाली नहीं चला सकते।” हमारे देश की सामाजिक संरचना उसे स्वीकार ही नहीं करेगी।

भारत और चीन की तुलना करते हुए, राहुल गांधी ने कहा: “भारत की प्रणाली चीन से कहीं अधिक जटिल है और भारत की ताकतें चीन से बिल्कुल अलग हैं। भारत की एक समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा और विचार प्रणाली

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सततं कृष्यते यैव, न हन्यते धरातलम् ।
सा कृषिः शुभदा नित्यं, जीवने च हिताय वै ।

अर्थात् मृदा को हानि पहुंचाये बिना की जाने वाली खेती सदैव शुभ फलदायी, समृद्धिदायक एवं टिकाऊ होती है।

-पारार कृषि संहिता, प्राचीन भारतीय ग्रंथ

रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग अपनाएं

कम लागत में अधिक उपज पाएं

<p>डीएपी के स्थान पर एसएसपी + यूरिया अपनाएं।</p> <p>डीएपी 50 कि. ग्रा.</p> <p>नाईट्रोजन - 9 कि. ग्रा. फॉस्फोरस - 23 कि. ग्रा.</p>	<p>=</p> <p>एसएसपी 150 कि. ग्रा. + यूरिया 45 कि. ग्रा.</p> <p>फॉस्फोरस - 24 कि. ग्रा. सल्फर - 16.5 कि. ग्रा.</p>	<p>नाईट्रोजन - 20.7 कि. ग्रा.</p>
---	--	-----------------------------------

खरीफ व रबी फसलों की बुवाई से पहले मिट्टी व पानी की जांच जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से करावें।

खेती में उत्पादन लागत कम करने एवं मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता संतुलित बनाए रखने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड में दी गई सिफारिश अनुसार उर्वरकों का उपयोग करें।

मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं सतत कृषि के लिए प्राकृतिक/ जैविक खेती अपनाएं एवं हरी खाद व जिप्सम का उपयोग करें।

सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) में 16% फॉस्फोरस एवं 11% सल्फर की मात्रा होती है, जो तिलहन एवं दलहन फसलों के लिए अन्य उर्वरकों की अपेक्षा अधिक लाभदायक है।

मृदा एवं वायुमंडल में उपस्थित पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध करवाने हेतु राइजोबियम, पीएसबी जैव उर्वरकों एवं नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग करें।

उर्वरक उपलब्धता एवं उपयोग संबंधी जानकारी तथा जमाखोरी की सूचना प्राप्त होने पर हेल्पलाइन नम्बर 0141-2227637 पर संपर्क करें।

कृषि विभाग, राजस्थान
https://agriculture.rajsasthan.gov.in